न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 12/2015

मनफूलाराम पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अर्न्तगत धारा 75 भू0राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :—

1— श्री बच्छराज कोठारी — अभिभाषक अपीलार्थी
2— स्टेट की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय **दिनांक 27.12.2019**

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 07.10.2014 से व्यस्थित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा अपीलान्ट को उसके पुराने कब्जा शुदा एवं रिहायश शुदा भूखण्ड से बेदखल करने एवं तावान राशि वसूल करने के कानून विरूद्ध आदेश दिया गया है। जैर अपील न्याय साम्य एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सबूत एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। अपीलान्ट का वादगत भूखण्ड पर 30 साल से ज्यादा समय से अपीलान्ट के पिता के समय से कब्जा है। अपीलान्ट का वादगत भूखण्ड पर पक्का कमरा, झोपड़ा बना हुआ है तथा अपने पशुओं को रखता है तथा स्वयं रहता है। भूखण्ड के चारों ओर पट्टिया लगाकर तारबंदी की हुई है। अपीलान्ट का वादगत भूखण्ड के चारों ओर वर्षो से आबादी बसी हुई है। यह भूमि कृषि भूमि के रूप में वर्षो से काम नहीं आम रही है। अपीलान्ट ने इस भूखण्ड पर अपनी रिहायस बना रखी है तथा आस पड़ौस में करीबन 450 बाड़े बने हुए है जिसमें करीब 250 भूखण्डों पर रिहायश हो रही है। इसलिए यह भूमि आबादी भूमि में ही मानी जा रही है। ग्राम पंचायत के समक्ष

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

वादगत भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया है। वादगत भूखण्ड के पास उतर में शिव मन्दिर है, दक्षिण में रामप्रताप का बाड़ा व मकान है,पश्चिम में पूर्णनाथ का मकान है। इस प्रकार अपीलान्ट का भूखण्ड आबादी के बीच में है। अपीलान्ट कृषि भूमि का अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्ट की भूमि कृषि भूमि नहीं होकर आबादी में है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए आदेश जैर अपील निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अगर वादगत भूमि को कृषि भूमि खसरा नम्बर 1172/863 की भूमि मानता है तो अपीलान्ट भूमि का नियमन एवं कन्वर्जन कराने एवं नियमानुसार कन्वर्जन चार्जेज अदा करने को भी तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादगत भूमि आबादी भूमि है या खसरा नम्बर 1172/853 की कृषि भूमि इस संबंध में पैमाईस भी नहीं करवाई ना ही पटवारी हल्का को साक्ष्य में तलब कर सशपथ बयान लिया ना अपीलान्ट को जिरह का मौका दिया। मात्र पटवारी की इकतरफा रिपोर्ट को आधार बनाकर आदेश जैर अपील पारित किया है। अपीलान्ट को दिनांक 28.08.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस मिला, अपीलान्ट दिनांक 28.08.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को आगे कोई तारीख पेशी नहीं बताई एवं अपीलान्ट को बताया कि जब भी जरूरत होगी नोटिस दे देगें। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया । आदेश जैर अपील पूर्णतयाः अपीलान्ट की पीठ पीछे इकतरफा तौर पर पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। दिनांक 15.7.2015 को पटवारी हल्का अपीलान्ट के पास वादगत भूखण्ड पर आया व धमकी दी कि वह भूखण्ड का कब्जा छोड़ दे वरना वह मकान तोड़ जबरन भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त कर लेगा तथा अपीलान्ट को बेदखल करेगा, उसके पास तहसील से आदेश आया है तब अपीलान्ट दिनांक 16.07.2015 को श्रीडूंगरगढ़ गया। आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा नकल उसी दिन प्राप्त हुई तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे तथा न्याय हित में अन्य उचित अनुतोष अपीलान्ट को प्रदान किया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। अधिवक्ता ने बहस के अन्त में आर.आर.डी. 1973 पेज 772 पर प्रकाशित माननीय उच्चतर न्यायालय के उद्वहरण का हवाला प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

4. रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का पुनरासर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी मनफूलानाथ पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर ने ग्राम पुनरासर के खसरा नम्बर 1172/855 तादादी 27.13 बीघा आराजीराज में से 1/2 बीघा भूमि पर संवत 2071 में नाजायज बाड़ा बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर विधिवत् नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल की ओर जवाब नोटिस पेश किया। अपीलार्थी की ओर से संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज (बारानी दोयम) भूमि दर्ज है। अपीलार्थी उक्त विवादित भूमि पर नाजायज बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

5. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा इस संबंध में विधिक प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ग्राम पुनरासर के खसरा नम्बर 1172/855 की 27.13 बीघा आराजीराज भूमि में से 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर बाड़ा बनाकर के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि आबादी की है जो कि उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सही नहीं है। परन्तु आराजीराज भूमि पर बाडे बनाने एवं उनके नियमन के संबंध में उपलब्ध प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट का प्रकरण पात्र पाया गया अथवा नही के संदर्भ में कोई विवेचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है ।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.10.2014 निरस्त करते हुवे तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पुनः सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर उपलब्ध नियमों/परिपत्रों के आधार पर निर्णय पारित करें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर (प्रशा.)
अति. बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर